



वीर माधो सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय

(उत्तराखण्ड सरकार द्वारा अधिनियम 415/2005 द्वारा स्थापित पूर्ववर्ती उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय)

Veer Madho Singh Bhandari Uttarakhand Technical University

(Formerly Uttarakhand Technical University Established by Act no. 415/2005 by Uttarakhand Government)
Chakrata Road, P.O. Chandanwadi, Premnagar, Suddhowala, Dehradun, Uttarakhand(India) Tel.No.0135-2774067 Website: www.uktech.ac.in

पत्रांक संख्या 3017/वी0मा0सि0म0उ0प्रौ0वि0/2023

दिनांक:- 18/11/2023

सूचना

सूचित किया जाता है कि विश्वविद्यालय विनियमावली-2018 के अध्याय-07 की धारा 7.01 "नये महाविद्यालयों को सम्बद्धता" में दी गयी व्यवस्थाओं के अन्तर्गत विश्वविद्यालय से सम्बद्ध संस्थानों/नवीन प्रस्तावित संस्थानों/ट्रस्ट/सोसाईटी आदि जो शैक्षिक सत्र 2024-25 से नवीन संस्थान/पाठ्यक्रम संचालित करने व पूर्व संचालित पाठ्यक्रमों की शाखा में वृद्धि/सीट वृद्धि हेतु इच्छुक है, ऐसे संस्थानों/ट्रस्ट/सोसाईटी आदि से विश्वविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय के ऑनलाईन सम्बद्धता पोर्टल पर आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं:-



वीर माधो सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से सम्बद्धता हेतु इच्छुक नवीन संस्थान/सोसाईटी/ट्रस्ट द्वारा नवीन संस्थान/पाठ्यक्रम संचालित किये जाने तथा सम्बद्ध संस्थानों द्वारा पूर्व संचालित पाठ्यक्रमों की शाखा में वृद्धि/सीट वृद्धि/नवीन पाठ्यक्रम हेतु ऑनलाईन सम्बद्धता पोर्टल पर आवेदन किये जाने के लिए निर्धारित तिथियां व अन्य विवरण

| | |
|---|--|
| प्रथम चरण नवीन संस्थान/पाठ्यक्रम संचालित करने व पूर्व संचालित पाठ्यक्रमों की शाखा में वृद्धि/सीट वृद्धि हेतु इच्छुक संस्था/ट्रस्ट/सोसाईटी हेतु ऑनलाईन सम्बद्धता पोर्टल खोले जाने की तिथि तथा पोर्टल बंद किये जाने की तिथि। | 20 नवम्बर, 2023 से 05 दिसम्बर, 2023 |
| अंतिम चरण यदि पोर्टल बंद किये जाने की तिथि समाप्ति उपरान्त भी कोई संस्था/ट्रस्ट/सोसाईटी उपरोक्त हेतु आवेदन के लिए इच्छुक है, तो प्रक्रिया व निरीक्षण शुल्क के साथ अर्थदंड की राशि रू0 10000/- प्रति पाठ्यक्रम की दर सहित आवेदन किये जाने हेतु अंतिम तिथि। | 06 दिसम्बर, 2023 से 15 दिसम्बर, 2023 |
| प्राप्त आवेदनों पर निरीक्षण समिति का गठन | आवेदन प्राप्ति के 01 सप्ताह के भीतर |
| गठित निरीक्षण समिति द्वारा निरीक्षण की कार्यवाही | समिति गठित किये जाने की तिथि से 15 दिवस के भीतर |
| निरीक्षण समिति द्वारा निरीक्षण रिपोर्ट में इंगित की गयी कमियों का संस्था स्तर पर निराकरण/अनुपालन | निरीक्षण प्रक्रिया पूर्ण होने के 01 सप्ताह के भीतर |
| निरीक्षण समिति द्वारा संस्था के स्थलीय निरीक्षण उपरान्त विश्वविद्यालय में प्रस्तुत प्रस्ताव को निरीक्षण समिति की सुस्पष्ट संस्तुति के आधार पर राज्य सरकार की अनापत्ति हेतु राज्य सरकार को प्रेषित किये जाने की कार्यवाही। | निरीक्षण समिति द्वारा सुस्पष्ट संस्तुति सहित प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने की तिथि से 01 सप्ताह के भीतर |
| प्रक्रिया शुल्क व निरीक्षण शुल्क | आवेदन करने वाली संस्था/ट्रस्ट/सोसाईटी को निर्धारित प्रक्रिया शुल्क व निरीक्षण शुल्क विश्वविद्यालय में ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से जमा कराया जाना अनिवार्य है। |
| नोट* आवेदन करने वाली संस्था/ट्रस्ट/सोसाईटी को उपरोक्त प्रक्रिया पूर्ण होने उपरान्त नवीन संस्थान/पाठ्यक्रम संचालित किये जाने, पूर्व संचालित पाठ्यक्रमों की शाखा में वृद्धि/सीट वृद्धि हेतु राज्य सरकार की अनापत्ति तथा नियामक संस्था की स्वीकृति/अनुमोदन विश्वविद्यालय की शैक्षिक सत्र 2024-25 की प्रवेश प्रक्रिया प्रारम्भ होने से पूर्व विश्वविद्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा। | |

(कुलसचिव)